संख्याः3/2025/बी-2-43 /दस-2025-एम-3/2019

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक 30 जनवरी, 2025

विषयः 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी.मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 के प्रस्तर-3 (7) के नीचे निम्नवत् परन्तुक "(क)" व "(ख)" जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

(क) लोक निर्माण विभाग से आवश्यक कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में, तकनीकी सेल के लिये अन्य विभागों से दक्ष अभियन्ताओं की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को नियत पारिश्रमिक पर, अनुबन्ध के आधार पर, साक्षात्कार के माध्यम से नियोजन विभाग द्वारा चयन किया जायेगा।

(ख) प्रस्तर 3(6) द्वारा गठित तकनीकी सेल में एक वास्तुविद को सम्मिलित किया जायेगा,जिसका चयन यथास्थिति प्रतिनियुक्ति/अनुबंध (नियत पारिश्रमिक) के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 3/2025/बी-2-43 (1)/दस-2025-एम-3/2019, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।